न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 72/2020

प्रार्थीगण

1. जबराराम पुत्र मेहराराम
2. हवा पत्नी मेहराराम
3. तगाराम पुत्र चतराराम
   जाति नाई निवासी बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भैरा पुत्र वाला
2. चेनाराम पुत्र वाला
3. ताजा पुत्र वाला
4. चूना पुत्र वाला
5. नवाराम पुत्र दमाराम
6. खेताराम पुत्र दमाराम
7. कानाराम पुत्र कुंभाराम
8. अचलाराम पुत्र कुंभाराम
9. चुनीलाल पुत्र कुंभाराम
10. लिखमाराम पुत्र कुंभाराम
11. गणेशाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बातों की ढाणी
12. आसूसिंह पुत्र धर्मसिंह
13. भंवरसिंह पुत्र धर्मसिंह
14. अजीतसिंह पुत्र धर्मसिंह
15. हरिसिंह पुत्र करणसिंह
16. दलपतसिंह पुत्र करणसिंह
17. रेखाकंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी पादरडी
18. ईशराराम पुत्र गेनाराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान
19. भारताराम पुत्र हमीराराम जाति रबारी
20. भीमाराम पुत्र हुकमाराम
21. किरताराम पुत्र भीमाराम
22. रावताराम पुत्र भीमाराम जाति सुथार
23. चिमना पुत्र ईशरा
24. पदमा पुत्र ईशरा
25. खेराज पुत्र ईशरा
26. अचला पुत्र ईशरा
27. आदू पुत्र ईशरा
28. ताजा पुत्र लिखमा
29. बाबूलाल पुत्र लिखमाराम
30. गेरो पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
31. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:07 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

दिनांक :—08—01—2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिन्धासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 42—11 बीघा, खसरा नम्बर 390 रकबा 28—05 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073—2076 सरहद मौजा बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिन्धासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 42—11 बीघा, खसरा नम्बर 390 रकबा 28—05 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिन्धासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 42—11 बीघा, खसरा नम्बर 390 रकबा 28—05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त [illegible] अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी [illegible] प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 8/1/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी